

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर

टेलीफैक्स 0141-2222403

ईमेल-addlblsg@gmail.com


क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2024/683-963

दिनांक : 13/03/2024

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
राजस्थान (समस्त)।

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत पट्टे जारी किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक 30.09.2023 के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की अवधि दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ाई गई है। उपर्युक्त आदेश अनुसार अभियान अवधि में जारी की गई अधिसूचनाएँ/आदेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण तथा विभिन्न छूटें, शिथिलताएँ एवं शक्तियां यथावत दिनांक 31.03.2024 तक लागू रहेंगी।


निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2024/964-1254
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक : 13/03/2024

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
4. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग